# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

**(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

मिशल संख्या 13/2015

निर्णय दिनांक :–07.11.19

**उनवानी दावा :**

1. रामेश्वर पुत्र देवाराम जाति मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामकन्या पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 56 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रतनी पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 48 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

**–वादीगण –**

**बनाम**

1. किशनलाल पुत्र देवाराम जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नोसी पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मदनी पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

**–प्रतिवादीगण–**

**उपस्थिति :–**
**श्री राजेश जैन**
**अधिवक्ता वादीगण**

**एकक्षीय कार्यवाही**
**विरूद्ध प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता ने प्रतिवादी नं. 1 के नाम साबिक खसरा नम्बर 1595 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 1597 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो वाके ग्राम देवलीगांव में स्थित है, को खरीद की थी। भूमि खदीदते समय विक्रय की राशि वादीगण के पिता के द्वारा दी गई थी। उक्त भूमि के विक्रय का पंजीयन दिनांक 15.03.1961 को सब रजिस्टार देवली के यहा करवाया गया था। उक्त भूमि 1100 /– रूपये में खरीद की थी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 1315 रकबा 1.73 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.38 है0 जो वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त भूमि

जब वादीगण के पिता ने खरीद की थी । तब प्रतिवादी नं. 1 की उम्र लगभग 3–4 वर्ष रही होगी। नं. 1 ही एकमात्र पुत्र था। इस कारण से उक्त भूमि के विक्रय का पंजीयन प्रतिवादी नं. 1 के नाम करवा दिया गया । जबकि वास्तविक रूप से विक्रय की राशि वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के पिता के द्वारा दी गई थी। जिसका नामांतकरण दिनांक 29.09. 1964 को प्रतिवादी नं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खोला गया। वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 आपस में सगे भाई–बहिन है, तथा स्व0 देवाराम की संताने है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के पिता दिनांक 17.08.1983 को देहान्त हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 की माता का भी देहान्त हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के आलावा स्व0 देवाराम के कोई वारिस नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के पिता के जीवनकाल से ही उक्त आराजी के दो हिस्से कर रखे थे। एक हिस्सा वादी नं. 1 काश्त करता था, तथा एक हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 काश्त करता था। वर्तमान में जमीनें की कीमते बढ़ने से व उक्त भूमि अकेले प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी हमें होने से प्रतिवादी नं. 1 के मन में बेईमानी आ गई है, तथा वह उक्त भूमि के 1/2 भाग से वादी नं. 1 को जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त भूमि अपने नाम होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य व्यक्ति को रहन, दान, किक्रय वसियत करना चाह रहा है। जबकि उक्त भूमि अकेले प्रतिवादी नं. 1 की नही है तथा ना ही प्रतिवादीगण नं. 1 ने उक्त भूमि खरीद की है तथा खरीद का पैसा भी प्रतिवादी नं. 1 ने अदा नही किया है। बल्कि खरीद का पैसा वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के पिता वहन किया है। प्रतिवादीगण नं 1 ता 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिए पाबंध किया जाना आवश्यक है कि वे स्वंय जरिए एजेन्ट, नौकर या अन्य पारिवारिक सदस्यों के वादी नं. 1 को उक्त आराजी के 1/2 भाग पर काश्त करने से नही रोके तथा उक्त आराजी को अन्य किसी व्यक्ति भी के नाम के नाम किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रतिवादी नं. 4 को पाबंध किया जाना आवश्यक है वह उक्त आराजी के 1/2 भाग के विक्रय, रहन, दान, वसियत का पंजीयन नहीं करें। यदि प्रतिवादीगण उनके अवैध कृत्य से नहीं रोका गया तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी। राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार वादीगण का नाम 1/2 भाग पर जोड़ा जावे तथा उसी के अनुरूप उक्त आराजी का 1/2 भाग का वादीगण को खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे। तहसीलदार देवली को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जिसके खिलाफ अलग से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। परन्तु सब रजिस्ट्रार देवली के खिलाफ अनुतोष चाहा गयां है, तथा सब रजिस्ट्रार राज्य सरकार का कर्मचारी है, जिसके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से उक्त वाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है। जिसके लिए अलग से वाद पेश करने की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। वाद कारण आज से दस दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण 1 के द्वारा गैर कानूनी रूप से वादीगण की उक्त आराजी किसी अन्य को बेचान करने के लिए कहा और उसने मौके पर आकर जमीन देखी तथा जबरन वादी नं. 1 को उक्त भूमि कि 1/2 भाग से बेदखल करने की धमकी दी तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है जो निरन्तर जारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पी. कुमार मीणा ने

वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:-वाद पत्र का चरण नं. 1 जिस तरह से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नही है। सब रजिस्ट्रार देवली के यहा किसी प्रकार का पंजीयन नही हुआ है। वाद पत्र का चरण नं. 2 मे जिस तरह से तथ्य अंकित किये गये है गलत है, स्वीकार नही है। वाद पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं 4 गलत है, अस्वीकार है। वादीगण का उक्त आराजी से कोई लेना देना व संबंध नही है तथा वादीगण का आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वाद पत्र का चरण नं 5 गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं 6 गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं 7 गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है तथा न ही संबध है। वाद पत्र का चरण नं 8 गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं 9 गलत है, अस्वीकार है। वादीगण को उक्त आराजी भूमि के संबंध में कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वाद पत्र का चरण नं 10 व 11 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वादीगण द्वारा चाही गयी अधियाचना गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्योकि वादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है तथा न ही कब्जा काश्त है। विशेष विवरण में लिखा कि प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की की आराजीयात खाता संख्या 124 ख. नं. 1306 रकबा 0.65 है0 ख.नं. 1315 रकबा 1.73 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तह. देवली जिला टोंक में स्थित है जो प्रतिवादी नं. 1 के कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त आरजी से वादीगण को कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है।

पत्रावली में तनकियात कायम की गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श कराये जो इस प्रकार है:- प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2066-69 ग्राम देवलीगांव करवाये। साथ ही वादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय लखमाराम वगै. बनाम बीरबल वगै. आरआरटी 2012 (1) पेज संख्या 46 पेश की। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू-1 स्वयं वादी रामेश्वर पुत्र देवाराम निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली पी. डब्ल्यू-2 श्री किशन पुत्र श्री कजोड़राम मीणा निवासी राजकोट तहसील देवली को पेश किया।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू-1 व 2 से जिरह की। साक्ष्यवादी जिरह बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू-1 स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल पुत्र देवाराम निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली का पेश किया।

अधिवक्ता वादी नें साक्ष्य डी. डब्ल्यू-1 से जिरह की।

प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दाहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता देवाराम है। प्रतिवादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की रजिस्ट्री के समय प्रतिवादीर संख्या के पिता देवाराम मौजूद थे। रजिस्ट्री लगभग 50 वर्ष पहले हुई है। खाद्य सुरक्षा सूची के अनुसार इस समय किशनलाल की उम्र 60 वर्ष है और वाद के समय लगभग 54 वर्ष थी। इससे साफ जाहिर है कि रजिस्ट्री

के समय प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र लगभग 5–6 वर्ष रही होगी। इस आयु में कोई भी व्यक्ति कमाई करके जमीन नहीं बना सकता। राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय लखमाराम वगै. बनाम बीरबल वगै. आरआरटी 2012 (1) पेज संख्या 46 में स्पष्ट किया है कि 22 वर्ष की आयु तक की कोई भी खरीद को उसकी स्वतंत्र खरीद नहीं कहा जा सकता है। अतः उक्त विवादित आराजी पर वादीगण 1/2 के हिस्सेदार नैसर्गिक है। उक्त विवादित आरजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में काश्त करते है। प्रतिवादी ने ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह साबित होता हो कि यह जमीन उसने खरीदी थी। अतः वाद डिक्री किया जाकर वादी को राहत प्रदान करे।

तनकीवार निर्णय –

**1. आया वादी विवादित आराजी खसरा नं0 1306 रकबा 0.65 है0 एवं 1315 रकबा 1.75 है0 कुल किता 2 रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम देवलीगांव की 1/2 भाग मे खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के हकदार है और राजस्व रिकार्ड को दुरूस्ति का हकदार है।**

**–वादीगण–**

तनकी नं. को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी नें प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2066–69 ग्राम देवलीगांव पेश की जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामान्तकरण पंजिका ग्राम देवली से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के हक में रजिस्ट्री 15.03.1961 में हुई थी। राशन कार्ड संख्या 009332100703 के अनुसार किशन लाल की आयु 60 वर्ष है इससे स्पष्ट है कि रजिस्ट्री 15.03.1961 के समय प्रतिवादी की आयु 2 से 5 वर्ष रही होगी, उस आयु में कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी आय अर्जित नहीं कर सकता। इसके लिए अधिवक्ता वादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय लखमाराम वगै. बनाम बीरबल वगै. आरआरटी 2012 (1) पेज संख्या 46 पेश की है जिसके अनुसार 22 वर्ष की आयु तक की कोई भी खरीद को उसकी स्वतंत्र खरीद नहीं कहा जा सकता है। प्रतिवादी नं. 1 ने अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित आराजी वादी ने ही खरीद की है। अतः तनकी नं. का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण, वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**2. वादी का वाद गलत है, न्यायोचित नही है।** **–प्रतिवादी संख्या 1–**

तनकी नं. को साबित करने का भार प्रतिवादी नं. 1 पर था जिसके लिए उसने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो सके कि वादी द्वारा किया गया वादी गलत है, न्यायोचित नहीं है।

तनकीवार विवेचन एवं राशनकार्ड एव पत्रावली में कराये गये साक्ष्य एवचं जिरह पी. डब्ल्यू–1 से 3 के अनसार भी किशनलाल पुत्र देवाराम की उम्र पंजीयन के समय 1961 के समय बालिग होना सिद्व नहीं होताह है और ना ही पत्रावली में प्रतिवादी किशनलाल के जवाब व स्वयं की कोई आय से आराजी को क्रय किया जाना अवगत कराया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपनी आय से तत्समय उक्त आराजी को क्रय किया जाना सिद्व नही किया गया है। अतः वादी के वाद की आराजी को क्रय किया जाना नही सिद्ध किया था एवं तत्समय प्रतिवादी बड़ा पुत्र होने से एवं अन्य भाई बहन अत्यधिक छोटे होने से प्रतिवादी के नाम दस्तावेज पंजीयन कर क्रय की थी। उक्त से स्पष्ट है कि जिस समय बयनामा रजिस्टर्ड किया गया उस समय प्रतिवादी संख्या 1 बालिग नहीं था । उक्त बयनामा वादीगण व

प्रतिवादी संख्या 1 के पिता देवाराम मीणा ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पंजीयन करवाया था जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर का अधिकार नैसर्गिक सिद्धान्त अनुसार बनता है। अतः हाल खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 1315 रकबा 1.73 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.38 है0 जो वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक में वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नं 1 ता 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वे स्वंय जरिए एजेन्ट, नौकर या अन्य पारिवारिक सदस्यों के वादी नं. 1 को उक्त आराजी के 1/2 भाग पर काश्त करने से नही रोके तथा उक्त आराजी को अन्य किसी व्यक्ति भी के नाम के नाम किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रतिवादी नं. 4 को पाबंध किया जाना आवश्यक है वह उक्त आराजी के 1/2 भाग के विक्रय, रहन, दान, वसियत का पंजीयन नहीं करें। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी**
**देवली**

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..........................................................................................मुकाम देवली**

**व अलजाम श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.............................................................**

उनवानी दावा :

1. रामेश्वर पुत्र देवाराम जाति मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामकन्या पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 56 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रतनी पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 48 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

**—वादीगण —**

**बनाम**

1. किशनलाल पुत्र देवाराम जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नोसी पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मदनी पुत्री देवाराम जाति मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

**—प्रतिवादीगण—**

## दावा दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 13 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

**आदेश**

हाल खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 1315 रकबा 1.73 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.38 है0 जो वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक में वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार—काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नं 1 ता 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वे स्वंय जरिए एजेन्ट, नौकर या अन्य पारिवारिक सदस्यों के वादी नं. 1 को उक्त आराजी के 1/2 भाग पर काश्त करने से नही रोके तथा उक्त आराजी को अन्य किसी व्यक्ति भी के नाम के नाम किसी प्रकार से

हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रतिवादी नं. 4 को पाबंध किया जाना आवश्यक है वह उक्त आराजी के 1/2 भाग के विक्रय, रहन, दान, वसियत का पंजीयन नहीं करें।

निजी.............................................मुवलिक.........................................बाबत् .............................................................................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .............................. फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ................ की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 11 सन् 2019 को जारी किया गया।

दस्तख्त ..........................................................

मुहर

ओहदा खण्ड अधिकारी .............................................

| मुद्दई | रू. | पै. | मुद्दायलह | रू. | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अदालत नामा | | | स्टाम्प अदालत | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनतान वकील | | |
| मेहनतान वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजरायहुक्मनामा | | |
| बाबत् इजरायहुक्मनामा | | | अन्य मिजान | | |
| अन्य | | | | | |
| मिजान | | | | | |

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए